सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 12.02.2024

- **पत्नी के शव को जलाकर पुलिस को गुमराह करने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।**
- **आपसी कलह के चलते पत्नी ने कर ली थी आत्महत्या।**
- **थाना वैदपुरा क्षेत्रान्तर्गत मिला था अज्ञात मानव का जला हुआ शव।**
- **मात्र 72 घण्टे के अन्दर इटावा पुलिस द्वारा घटना का किया गया पर्दाफाश।**
- **अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण में *एसओजी/सर्विलान्स टीम एवं थाना वैदपुरा पुलिस* द्वारा की गयी कार्यवाही।**

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 09.02.2024 को थाना वैदपुरा पर ग्राम छितौनी के खाली पडे खेत पर एक अज्ञात मानव का जला हुआ शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर तत्काल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा जनपदीय फोरेन्सिक टीम तथा थाना वैदपुरा पुलिस के साथ मौके पर जाकर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया एवं 04 पुलिस टीमों का गठन कर घटना में संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं शव के शिनाख्त हेतु सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार कराया गया।

इसी क्रम में वादी बाबूराम राठौर पुत्र सेवाराम निवासी बीरपुर सलीमपुर थाना बकेवर जनपद इटावा द्वारा थाना वैदपुरा पर उसकी पुत्री की ससुराली जनों द्वारा हत्या कर शव को कहीं गुम कर देने के सम्बन्ध में लिखित तहरीरी सूचना प्राप्त हुयी। **सूचना पर तत्काल थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 07/2024 धारा 302/201 भादवि पंजीकृत किया गया।**

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित /वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में गठित पुलिस टीमों द्वारा घटना स्थल पर आने-जाने वालों की सीसीटीवी कैमरों की फूटेज देखी जा रही थी एवं सोशल मीडिया पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा था तथा शव की राख से बरामद टूटी लाल चूड़ियों एवं अन्य साक्ष्यों से शव की शिनाख्त हेतु प्रयास किये जा रहे थे इसी के क्रम में दिनांक 12.02.2024 को थाना वैदपुरा पुलिस टीम थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 07/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त जितेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र मुन्नालाल को ग्राम बिरौली से समय 13.00 बजे गिरफ्तार किया गया।**

पुलिस पूछताछः-

पकडे गये अभियुक्त से पुलिस टीम पूछताछ की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि उसकी पत्नी कमरा बनवाने को लेकर कलह करती रहती थी जिस कारण दोनों में विवाद होता रहता था इसी के चलते दिनांक 08/09.02.2024 की रात्रि को उसकी पत्नी ने फाँसी लगाकर **आत्महत्या** कर ली तथा इसका जब उसे पता चला तो

पुलिस को गुमराह करने के लिये उसने अपनी पत्नी के शव को छितौनी में खाली पड़े खेत में जला दिया और थाना वैदपुरा पर उसके घर से कहीं चले जाने के सम्बन्ध में झूठी सूचना दे दी।

उक्त गिरफ्तारी एवं साक्ष्य संकलन के आधार पर मु0अ0सं0 07/2024 में धारा 306 भादवि की बढ़ोत्तरी की गयी एवं धारा 302 भादवि का लोप किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01.जितेन्द्र उर्फ बबलू पुत्र मुन्नालाल निवासी ग्राम बरौली थाना वैदपुरा जनपद इटावा उम्र 35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 07/2024 धारा 306/201 भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगीः-

1. **01.आत्महत्या मे प्रयुक्त रस्सी**
2. **01 अंगूठी (जले हुए शव/राख से बरामद)**
3. **02 बिछिया (जले हुए शव/राख से बरामद)**
4. **स्वैटर का अधजला कपड़ा (जले हुए शव/राख से बरामद)**
5. **लाल रंग के चूड़ी के टुकड़े (राख से बरामद)**

पुलिस टीमः- प्रथम टीमः-उ0नि0 श्री समित चौधरी थानाध्यक्ष वैदपुरा मय टीम।

द्वितीय टीमः- उ0नि0 श्री जयप्रकाश सिंह प्रभारी एसओजी, उ0नि0 श्री नागेन्द्र चौधरी प्रभारी सर्विलान्स मय टीम।

नोटः- उक्त सराहनीय कार्य करने वाली पुलिस टीम को उत्साहवर्धन हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा 15,000/- रुपये से पुरस्कृत किया गया है।